भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2387
(06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़कें

2387. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश , विशेषकर मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में किए गए कार्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें अभी भी सही स्थिति में नहीं हैं, जिसके कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-20, 2022-23 और 2023-24 के दौरान मुरादाबाद और बिजनौर जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण किए गए कार्यों की जिले-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी नरेगा की धारा 4(3) की अनुसूची-I के अनुसार, पैरा 4(1) श्रेणी: घ: ग्रामीण अवसंरचना (ii) संपर्क रहित गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों को बारहमासी ग्रामीण सड़क संपर्कता प्रदान करना और चिन्हित ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूदा पक्के सड़क नेटवर्क से जोड़ना ; और गांव के भीतर नालियों , पुलिया सहित पक्की आंतरिक सड़कों या गलियों का निर्माण अनुमेय कार्य हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत सरकार का एकबारगी विशेष कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कोर नेटवर्क में पात्र संपर्क रहित बस्तियों को बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान करना है। इसे ग्रामीण आबादी को अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें प्रदान कर बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक उपाय के रूप में शुरू किया गया था। इसके बाद , ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के दायरे में पीएमजीएसवाई- II, वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई- III जैसे नए कार्यकलाप/वर्टिकल शामिल किए गए।

इसके आरंभ के बाद से 01.08.2024 तक पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/वर्टिकलों के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में 77,414 किमी की कुल 21,124 सड़कें स्वीकृत की गई हैं और 73,481 किमी की 20,447 सड़कें बनाई गई हैं।

पीएमजीएसवाई के मानक बोली दस्तावेज़ के अनुसार , सभी पीएमजीएसवाई सड़क कार्य प्रारंभिक पांच-वर्षीय (दोष देयता अवधि (डीएलपी)) रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं , जो निर्माण कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसी ठेकेदार के साथ किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि को राज्य सरकारों द्वारा बजट में शामिल किया जाना चाहिए और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास में एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना चाहिए। निर्माण के बाद के इस 5 वर्षीय रखरखाव (डीएलपी अवधि के बाद) की समाप्ति पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर चक्रानुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्षीय रखरखाव वाले क्षेत्रीय रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा जाना चाहिए।

दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) और डीएलपी के बाद के चरण में पीएमजीएसवाई सड़कों के अनुरक्षण की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित निगरानी के लिए ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक अनुरक्षण (ई-मार्ग) शुरू किया गया है। ठेकेदार को भुगतान ई-मार्ग के माध्यम से किया जाना है जो सड़क की मौजूदा स्थिति , इसके आर-पार जल निकासी कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों पर आधारित है।

पीएमजीएसवाई कार्यों के क्रियान्वयन को वांछित गुणवत्ता मानक पर लाने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत तीन स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है। 3-स्तरीय तंत्र के तहत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर , जहाँ भी आवश्यक हो, राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान , उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 1,988 राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी (एनक्यूएम) निरीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा , राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने 07.02.2017 को राज्यों को सड़क सुरक्षा पर परामर्श जारी किया है , जिसमें उन्हें पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की योजना, निर्माण और संचालन के दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी मामलों की निगरानी के लिए मौजूदा तकनीकी कर्मचारियों के साथ एक अलग सेल बनाने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई-III दिशा-निर्देशों में यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के दौरान सुरक्षा पहलुओं को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सभी पीएमजीएसवाई- III सड़कों का डिज़ाइन स्तर पर सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है , जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर से अधिक है। एनआरआईडीए ने इस संबंध में 06.10.2020 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब तक पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत 3,899 सड़कों के लिए डिज़ाइन स्तर पर सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा किया जा चुका है।

एनआरआईडीए ने 830 प्रमाणित सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों की सूची भी परिचालित की है , जिन्होंने सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी (आईएएचई), केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) , एशियाई परिवहन विकास संस्थान (एआईटीडी) आदि द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा पर दो सप्ताह का पाठ्यक्रम पूरा किया है। राज्यों को पीएमजीएसवाई सड़कों की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा करने के लिए इन सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य सड़क रखरखाव और सुरक्षा के लिए संयुक्त रूप से उपरोक्त पहल कर रहे हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2387 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-20, 2022-23 और 2023-24 के दौरान मुरादाबाद और बिजनौर जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण किए गए कार्यों की जिले-वार संख्या

क्र.सं.	जिला	पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	आगरा	5629	12253	7245
2	अलीगढ़	7321	16855	9390
3	अम्बेडकर नगर	9062	27845	11732
4	अमेठी	30492	17000	17745
5	अमरोहा	9906	17462	9739
6	औरेया	3468	7052	6473
7	अयोध्या	16448	14604	13674
8	आजमगढ़	23406	35063	32417
9	बागपत	236	200	50
10	बहराइच	41724	42597	35513
11	बलिया	12759	29292	24804
12	बलरामपुर	7506	20439	15489
13	बाँदा	18427	22513	19509
14	बाराबंकी	24688	19518	21633
15	बरेली	12585	16496	12396
16	बस्ती	27510	29966	24668
17	बिजनौर	16242	12533	13592
18	शाहजहांपुर	5755	11019	7300
19	बुलन्दशहर	2589	2922	3261
20	चंदौली	6381	15748	12776
21	चित्रकूट	9266	12154	7018
22	देवरिया	8144	18073	13055
23	एटा	6274	7381	12357
24	इटावा	7595	10731	8916

25	फर्रुखाबाद	6913	9030	9002
26	फ़तेहपुर	20556	22328	17616
27	फिरोजाबाद	6828	11900	12543
28	गौतम बुद्ध नगर	37	98	5
29	गाज़ियाबाद	0	0	0
30	गाजीपुर	19922	29706	18739
31	गोंडा	25329	15923	16601
32	गोरखपुर	20436	26311	10173
33	हमीरपुर	9886	10207	8532
34	हापुड़	447	531	766
35	हरदोई	19620	28705	22531
36	हाथरस	3506	3169	2931
37	जालौन	11651	16324	13306
38	जौनपुर	35310	55307	27156
39	झांसी	14743	11637	7645
40	कन्नौज	12505	6074	12506
41	कानपुर देहात	6112	12717	9140
42	कानपुर नगर	5244	6387	6401
43	काशगंज	6774	5410	4364
44	कौशांबी	15403	10051	10198
45	खेरी	46348	46390	33106
46	कुशीनगर	19757	22106	16129
47	ललितपुर	3839	20147	16058
48	लखनऊ	9084	5334	5132
49	महाराजगंज	15878	21198	19895
50	महोबा	5168	6521	6558
51	मैनपुरी	12585	17004	13961
52	मथुरा	6055	14241	3224
53	मऊ	15395	17388	15254
54	मेरठ	2595	1385	1545
55	मिर्जापुर	21120	24185	14435
56	मुरादाबाद	10088	11381	6359

57	मुजफ्फरनगर	5182	3635	2240
58	पीलीभीत	21732	12118	12373
59	प्रतापगढ़	17669	51136	36346
60	प्रयागराज	38112	45368	34989
61	रायबरेली	31136	23946	25294
62	रामपुर	6556	9200	9798
63	सहारनपुर	6573	10629	5142
64	संभल	4886	11265	7741
65	संतकबीरनगर	11648	43950	21131
66	संत रविदास नगर	9531	13231	8146
67	शाहजहांपुर	15869	12075	28792
68	शामली	1407	2500	840
69	श्रावस्ती	8064	5521	9570
70	सिद्धार्थनगर	15061	25337	13246
71	सीतापुर	64724	39519	33258
72	सोनभद्र	18039	21911	22292
73	सुल्तानपुर	41208	25609	19124
74	उन्नाव	25471	9042	14016
75	वाराणसी	8402	15232	13677
	कुल	**1,073,817**	**1,290,035**	**1,020,578**

*****